कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 25 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2023 रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2023

/ /आवश्यक सूचना/ /

चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (MBBS & BDS) की प्रवेश वर्ष 2023, प्रथम काउंसिलिंग के प्रवेश संबंध में विभिन्न माध्यमों से यह भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है कि छ.ग. के चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (MBBS & BDS) पाठ्यकमों में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रक्रिया में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में और समस्त दंत महाविद्यालयों में आबंटन के उपरांत प्रवेश अनिवार्य है परंतु यह जानकारी पूर्णतः असत्य है।

प्रवेश नियमानुसार ***निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय और निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों*** में आबंटन उपरांत प्रवेश अनिवार्य नहीं है। परंतु समस्त आबंटित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन कराकर, आगामी चरण में बने रहने का विकल्प देना अनिवार्य है। ऐसे सभी अभ्यर्थी अगले चरण में विकल्प चयन व प्राथमिकता कम का निर्धारण के पात्र रहेंगे व नियमानुसार उन्हें प्रावीण्यता सूची के अनुक्रम मे उपलब्ध सीटों पर आबंटन प्रदान किया जायेगा।

चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (**MBBS & BDS**) की प्रवेश वर्ष 2023, के प्रथम चरण आबंटन उपरांत सभी प्रवेशित, नियमानुसार स्कूटनी में पात्र एवं पूर्व पंजीकृत अनाबंटित अभ्यर्थी काउंसिलिंग के द्वितीय चरण में आबंटन पूर्व अपने रूचि अनुसार संस्था चयन व संस्था चयन के प्राथमिकता क्रम में बदलाव कर सकते है।

20/08/2023

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा,
छत्तीसगढ